

पत्रांक : 31 / पी.एल.ए. / जी.डी. / 2024

दिनांक : - 26/11/24

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण हेतु स्थायी लोक अदालत गोण्डा में पेशकार के एक पद पर अस्थायी रूप से दीवानी न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी (लिपिक सवंग), जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो तथा स्वस्थ व कार्यकुशल हो, की नियुक्ति 02 वर्ष हेतु संविदा, नियत वेतन रु.9000/- पर की जानी है। उक्त पद से सम्बन्धित आवेदन पत्र दैनिक समाचार पत्र/नोटिस बोर्ड पर चस्पा तिथि से अन्दर 15 दिवस आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र मय प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, ए0डी0आर0 भवन जनपद न्यायालय परिसर गोण्डा को भेज/जमा कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Ashok Kumar Yadava  
अध्यक्ष 26.11.2024  
स्थायी लोक अदालत,  
गोण्डा।

पत्रांक : 31 / पी.एल.ए. / जी.डी. / 2024

दिनांक : 26-11-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. श्रीमान जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा।
2. द्वितीय अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी गोण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन का पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Ashok Kumar Yadava  
अध्यक्ष 26.11.2024  
स्थायी लोक अदालत,  
गोण्डा।